30.6.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी में पेश हुई।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण 30.8.2013
को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया था लेकिन
प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि को लेकर कोई विवाद उत्पन्न
नहीं हुआ है इसलिए प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का
कोई औचित्य नहीं रह गया है। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न
रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)